डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

खैमचंद बनाम सरकार

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 112/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 1985 रकबा 0.09 है0 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई पर वादी का कब्जाकाश्त घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह — मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – — फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख........16/06/25............... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— [signature] 16/6/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. खेमचंद पुत्र गिरीज जाति माली निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई भरतपुर।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
2. आत्माप्रकाश पुत्र बैलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. ज्ञानचंद पुत्र बैलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. भगवान देई पत्नि बैलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. भगवान देई पत्नि बैलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. मोहनलाल पुत्र बैलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. यशोदा पुत्री वैलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. रूपचंद पुत्र वैलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. राजरानी पुत्री वैलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. लेखराज पुत्र वैलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 112 / 2024
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
जीसीएमएस नंबर 2024 / 321
निर्णय दिनांक. — 16.06.2025

1. खैमचंद पुत्र गिर्राज जाति माली निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
2. आत्माप्रकाश पुत्र बेलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. ज्ञानचंद पुत्र बेलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. भगवान देई पत्नि बेलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. भगवान देई पत्नि बेलाराम जोति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. मोहनलाल पुत्र बेलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. यशोदा पुत्री वेलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. रूपचंद पुत्र वेलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. राजरानी पुत्री वेलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. लेखराज पुत्र वेलाराम जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार विहारिया मीणा एड.(वादी)

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:45 IST
Reason: SelfAttested

16/6/25

Scanned with OKEN Scanner

1. यह है कि आराजी खसरा नं. 1985 रकबा 0.09 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है।

2. यह है कि विवादित आराजीयात वादी की खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता बेलाराम पुत्र श्री रोशनलाल खत्री निवासी नदबई से जरिये इकरारनामा कीमतन 35000 रूप्ये में दिनांक 21.09.1994 को वादी का बेचान कर दिया था। तथा 10000 रूप्ये प्राप्त कर लिये थे। तथा वक्त बयनामा रूप्ये प्राप्त करने का इकरार किया था तथा बेलाराम की मृत्यु के बाद उक्त इकरारनामा की पालना में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 द्वारा दिनांक 09.7.2018 को वादी के हक में 6/16 हिस्सा का बयनामा करवा दिया। वादी इकरारनामा दिनांक 21.09.1994 व इकरारनामा 9.7.2018 के अनुसार मौके पर खसरा नं0 1985 के सम्पूर्ण रकबे पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। 6/16 हिस्सा के अलावा शेष बचा हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उक्त हिस्सा का बयनामा वादी के हक में नहीं हो सका। जबकि वादी को मुताबिक इकरार नामा दिनांके 21.09.1994 व 9.7.2018 उक्त आराजीयात पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के नाम गैरखातेदारी के गलत इन्द्राजात चले आ रहे है। जो काबिल कलमजन के है। इसलिए वादी अपने आप को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 के नाम चल रहे गैरखातेदारी के गलत इन्द्राजात को कलमजन कराने का मुश्तहक है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा पाने का अधिकारी है।

3. यह है कि दावा सरकार के खिलाफ़ पेश किया जा रहा है। दावा अर्जेन्ट नेचर होने के कारण प्रार्थना पत्र 80 (2) जा0 दी0 के तहत दावा के साथ संलग्न है।

अतः प्रार्थना है कि दावा वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र में अंकित आराजी खसरा नं0 1985 पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 के नाम चल रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी को सम्पूर्ण पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:45 IST
Reason: SelfAttested

16/6/25

Scanned with OKEN Scanner

(ब) यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 2 की आराजी में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से पाबंद किया जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असल संख्या 02 लगायत 9 की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर सरकार पैरोकार जरिये तहसीलदार की ओर से जबाव पेश किया जो संक्षेप में निम्न प्रकार है–

1. यह है कि राजस्व अभिलेख अनुसार राजस्व अभिलेख की हद तक वादपत्र स्वीकार है। वयनामा प्रति की हद तक आंशिक स्वीकार है। चूंकि दावा प्रतिवादी 2 लगायत 9 के विरूद्व दादरसी से संबधित हैं। वादी द्वारा नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न नहीं किये गये है। अतः विवादित आराजी का तुलनात्मक मिलान नहीं किया जा सकता है।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2074–2077 वाके ग्राम नदबई कस्बा प्रथम, नकल जमाबंदी संवत 2059–2062, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी 2059–62, इकरार नामा मूल दिनांक 21.09.1994, इकरारनामा विकय पत्र दिनांक 9.07.2018 पेश किये गये। मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी द्वारा खैमचंद पुत्र गिर्राज जाति माली निवासी कस्बा नदबई, अशोक कुमार पुत्र टेकचंद जाति ब्राहम्ण कस्बा नदबई, बल्देव कृष्ण पुत्र लक्ष्मणदास जाति खत्री निवासी नदबई के शपथपत्र पेश किये गये, जिनसे जिरह की गई।

हमने वादी की आरे से विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादी वकील के कथन रहे कि आराजी खसरा नं0 1985 जो कि गत खसरा नं0 1569 से निर्मित है। वेलाराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी, जो कि 1/2 हिस्से पर खातेदार और 1/2 हिस्से पर गैर खातेदार चले आ रहे है। दिनांक 21.09.1994 को इकरार नामा खैमचंद के पक्ष में प्रतिवादी 2 लगायत 9 के पिता वेलाराम ने इस आशय का लिखा कि 35000 रूप्ये में बेचान वादी के हक में करा देगें एवं 10000 रूप्ये [illegible] दिनांक 9.7.2018 को वेलाराम फौत होने के [illegible] वादीगण को खातेदारी का वयनामा तो करवा [illegible] कब्जा संभला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:45 IST
Reason: SelfAttested

16/6/25

नदबई भरतपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दिया है। तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित आराजी वर्तमान में खैमचंद पुत्र गिर्राज जाति माली साकिन देह खातेदार हिस्सा 3/8 एवं आत्माप्रकाश, ज्ञानचंद, मोहनलाल, लेखराज, रूपचंद पुत्र बेलाराम, यशोदा, राजरानी, भगवानदेई पुत्र/पुत्री बेलाराम हिस्सा बराबर 5/8 जाति खत्री साकिन देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उक्त आराजी पर खैमचंद पुत्र गिर्राज जाति माली कब्जा है जिसमें भैसों का बाडा बना रखा है। उक्त खसरा नंबर प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आता है। अब्दुर्रहमान प्रकरण से भी प्रभावित नहीं है।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि आराजी खसरा नंबर 1985 रकबा 0.09 है0 वाके कस्बा नदबई प्रथम का इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता बेलाराम द्वारा वादी खैमचंद पुत्र गिर्राज जाति माली के हक में किया गया है। उक्त इकरारनामा अपंजीकृत दस्तावेजात है। परन्तु उक्त विवादित आराजीयात गैर खातेदार के रूप में प्रतिवादीगण के रूप में दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। चूंकि तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त विवादित आराजी वर्तमान में वादी के कब्जेकाश्त में होना वर्णित किया गया है। अतः उक्त विवादित आराजी वर्तमान में वादी के कब्जाकाश्त में होने से वादी का कब्जा घोषित किया जाना उचित है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1985 रकबा 0.09 है0 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई पर वादी का कब्जाकाश्त घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:45 IST
Reason: SelfAttested

16/6/25
(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई

Scanned with OKEN Scanner